तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 104/2019	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.05.2019 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी लूणी के कार्यालय में राज्य सरकार की आरसीएम पोर्टल योजनान्तर्गत कितने वाद वर्ष 2018–19 तक ऑनलाईन दर्ज है नियमानुसार वाद की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से जरिये पत्रांक 59 दिनांक 12.07.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.19 को प्रस्तुत किया गया जबकि न्यायालय में प्रस्तुत अपील में प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.19 को प्रस्तुत किया जाना बताया गया। रिपोर्ट में प्रार्थी को जरिये पत्रांक 237 दिनांक 10.06.19 सूचना प्रेषित करना बताया गया तथा दी गई सूचना की प्रति भी संलग्न की है। अपीलार्थी ने राज्य सरकार की आरसीएम पोर्टल योजनान्तर्गत कितने वाद वर्ष 2018–19 तक ऑनलाईन हुए उसकी सूची की प्रमाणित प्रति चाही गई जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं देकर प्रार्थी को यह सूचित किया कि कार्यालय में इस प्रकार का रजिस्टर संधारित नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं होना, कहा। उक्त सूचना से हम सहमत नहीं है, क्योंकि आरसीएम पोर्टल पर लम्बे समय से वाद दायर किये जाते है इसी प्रकार बिन्दु संख्या 2 से संबंधित के लिए 2/–रूपये प्रति पेज के शुल्क के हिसाब से राशि जमा कराने को कहा परन्तु कुल कितने पेज है तथा कितनी राशि जमा करानी है, इस बाबत् अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया अतः रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) द्वारा इस प्रकार की अधुरी सूचना देना विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है। उपखण्ड अधिकारी लूणी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	